अति आवश्यक/महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली–110031
दूरभाष संख्या 22424989

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2021/ 4674-77 दिनांक 31/12/21

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 63 **माननीय विधायक** श्री मोहन सिंह बिष्ट दिनांक 03–01–2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त ई–मेल दिनांक 24–12–2021 समय शाम 6:30 बजे का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 63 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

(रवीन्द्र कुमार)
कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2021/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय,पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर
दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 63

दिनांक : 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र॰ सं॰	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाले सभी नालों के गंदे पानी की निकासी एस्कैप ड्रेन के माध्यम से की जा रही है;	नहीं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन निम्नलिखित नालों के गंदे पानी की निकासी एस्कैप ड्रेन नं॰ 1 के माध्यम से की जाती है:- 1) बंध ड्रेन 2) बिहारीपुर ड्रेन
ख)	यदि हां तो एस्कैप ड्रेन की चौड़ाई कितनी है;	एस्कैप ड्रेन नं॰ 1 की चौड़ाई निम्नलिखित है:- आरडी 0 मी॰ से आरडी 980 मी॰ = 8.00 मी॰ आरडी 980 मी॰ से आरडी 1650 मी॰ = 6.00 मी॰ आरडी 1650 मी॰ से आरडी 2650 मी॰ = 4.00 मी॰ आरडी 2650 मी॰ से आरडी 2950 मी॰ = 2.80 मी॰
ग)	क्या यह भी सम्य है कि एस्कैप ड्रेन के बीचो–बीच सोनिया विहार की जल बोर्ड की लाईन डाली गई है;	हाँ यह सत्य है कि एस्कैप ड्रेन नं॰ 1 की आरडी 2650 मी॰ से आरडी 2950 मी॰ तक नाले के बीच में जल बोर्ड की डबल मेन पाइप लाइनें डाली हुई है।
घ)	यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि एस्कैप ड्रेन में भागीरथी प्लांट का रेत युक्त पानी इसी ड्रेन में गिरता है;	हाँ यह सत्य है।
ड)	इस मिट्टी को नाले में डालने से न रोके जाने के क्या कारण है;	भागीरथी प्लांट द्वारा जल की आपूर्ति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आती है। जिसको बाधित करना सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तथापि मिट्टी प्लांट के अंदर निकालने हेतु दिल्ली जल बोर्ड को प्रार्थना की गई थी परंतु उन्होने प्लांट के अंदर सारी मिट्टी निकालने में असमर्थता जतायी है।
च)	क्या यह भी सत्य है कि जल बोर्ड द्वारा गंदे पानी की ट्रीट करने के लिए इंटरसेप्टर बनाया गया है; और	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर संलग्नक 'क' में संलग्न है।
छ)	यदि हां तो इसको कब तक चालू किया जाएगा?	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर संलग्नक 'क' में संलग्न है।

(रवीन्द्र कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
एल.एम. क्षेत्र दिल्ली सरकार

संलग्नक 'क'

विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 63
दिनांक :–03.01.2022
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री मोहन सिंग बिष्ट, विधायक
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहने वाले सभी नालों के गंदे पानी की निकासी एस्केप ड्रेन के माध्यम से की जा रही है;	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नही है।
(ख)	यदि हाँ, तो एस्केप ड्रेन की चौड़ाई कितनी है;	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि एस्केप ड्रेन के बीचों–बीच सोनिया विहार की जल बोर्ड की लाइन डाली गई है;	हाँ। यह लाइन ड्रेन के साथ–साथ ड्रेन के उपर से जा रही है। इसके पिलर ड्रेन में है।
(घ)	यदि हाँ, तो यह भी सत्य है कि एस्केप ड्रेन में गिरता है;	घ एवं ड़ :– सभी जल शोधन संयंत्रों में पानी की सफाई के पश्चात प्रोसेसे वेस्ट वाटर निकलता है, जिसे नजदीक के नाले में छोड़ा जाता है। भागीरथी जल संयंत्र में भी जल संशोधन के पश्चात बचे हुए प्रोसेस वेस्ट वाटर में कुछ रेत भी होता है, जिसको ड्रेन में छोड़ा जाता है।
(ङ)	इस मिट्टी को नाले में डालने से न रोके जाने के क्या कारण है;	
(च)	क्या यह भी सत्य है कि जल बोर्ड द्वारा गंदे पानी को ट्रीट कारने के लिए इंटरसेप्टर बनाया गया है; और	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 242 एम.जी.डी. गंदे पानी को ट्रैप करने के लिए इंटरसेप्टर बनाया गया है।
(छ)	यदि हां, तो इसके कब तक चालू किया जाएगा ?	जिसमें लगभग 238 एम.जी.डी. गंदे पानी को ट्रैप करने का कार्य पूरा हो चुका है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005